न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 82/2022 अपील (GCMS 2022/87)

पंजीयन दिनांक- 12/10/2022

निर्णय दिनांक- 27/08/2025

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पिता कैलाशचन्द्र चतुर्वेदी, निवासी मिश्रों की पीपली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री खेमा पिता चूना बंजारा, निवासी मिश्रों की पीपली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री महेन्द्र कुमार पिता कैलाशचन्द्र चतुर्वेदी, निवासी मिश्रों की पीपली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री चन्द्रेश पिता कैलाशचन्द्र चतुर्वेदी, निवासी मिश्रों की पीपली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री सम्पतलाल बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या 05/2018 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 05.09.2011

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27/08/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 05/2008 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 05.09.2011 के

विरूद्ध दिनांक 04.10.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात मौजा मिश्रों की पीपली, पटवार हल्का ओडूंद, तहसील चित्तौड़गढ़ में साबिक आराजी संख्या 543 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा स्थित होकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.06.1986 को विक्रेता रामचन्द्र पिता भंवरलाल महाजन, निवासी गांधी चौक, चित्तौड़गढ़ से क्रय की तभी से प्रार्थी उक्त आराजी पर खातेदार काश्त काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। गत सेटलमेंट में उक्त आराजी के नवीन नम्बर 543 रकबा 0.93 हैक्टेयर अंकित कर 0.30 हैक्टेयर कम दर्ज कर दिया है। 5 बीघा 15 बिस्वा का रकबा 1.23 हैक्टयर दर्ज होना चाहिए। मौके पर 1.23 हैक्टेयर पर प्रार्थी काबिज है। यह त्रुटि सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई है। कमी रकबे की जानकारी जमाबंदी की नकल निकालने पर दिनांक 07.10.2007 को हुई। इससे पूर्व उक्त त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी, इसलिए प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 543 के दक्षिण दिशा के खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 2 की आराजी संख्या 544 मी. रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का नवीन नम्बर 451 रकबा 0.01 हैक्टेयर व 542 रकबा 0.82 हैक्टेयर है। इस प्रकार प्रार्थी का 0.11 हैक्टेयर रकबा रेस्पोडेंट संख्या 2 के खाते में दर्ज हो गया है। अतः ग्राम मिश्रों की पीपली, के आराजी नम्बर 543 रकबा 0.93 हैक्टेयर जो वक्त भू-प्रबंध कर्मचारियों की भूलवश व सहवन से की गई त्रुटि को सुधार कर प्रार्थी के खातेदारी के आराजी नम्बर 543 रकबा 0.93 हैक्टेयर के बजाय 1.23 हैक्टेयर दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या

05/2008 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 05.09.2011 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट मदनलाल द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2011 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः- *"अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के खाते की आराजी नम्बर 541 रकबा 0.01 एवं 542 रकबा 0.82 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से 0.11 हैक्टेयर बेशी रकबा कम कर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त कमी रकबा प्रकरण संख्या 94/2007 अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट. भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 18.08.2007 अनुसार रकबा कम कर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कर दन्द्राज दुरूस्ती की जावें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.08.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि इस मामलें में रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांट व उनके भाईयों की 0.11 हैक्टेयर भूमि खातेदारी अधिकारों से कम कर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज कराना चाहता है, जो धारा 136 की कार्यवाही में नही हो सकता है, यह केवल मात्र घोषणा के दावे में संभव है। अधीनस्थ न्यायालय को किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार लेकर दूसरे व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने का कोई अधिकार नही होते हुए भी इस मामलें में ऐसा करने का आदेश दिया जो उचित नहीं है। इस

मामले में राजीनामा धोखे से कराया गया है तथा उस राजीनामें पर तहसीलदार पक्षकार होने से उसके पक्षकार हस्ताक्षर भी आवश्यक है तथा अपीलांट व अन्य पक्षकारान् के भी हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। जैसा समझोता पेश हुआ उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामें की जांच किये बिना एवं कानूनी स्थिति परखे बिना जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RBJ 1999 Page 115, RRT 2009 (2) Page 757, RBJ 1998 Page 150, RBJ 2002 Page 88, 108, RRT 2019 (1) Page 219, RBJ 2018 Page 659, RRT 2002 (1) Page 150, RRT 2002 (1) Page 414, RRT 2015 (1) Page 10, 2010 (1) CT (SC) Page 330, RRT 2012 (1) Page 374 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 4 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 05.09.2011 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2011 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय में दिनांक 04.10.2022 को अर्थात् 11 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद पेश की गयी है।

इस संबंध में प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावें एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में न्यायालय समक्ष अपीलांट द्वारा 11 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित है।

यहा हम मयाद के बिदुं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है।

आरबीजे (14) 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है-

INDIAN LIMITATION ACT, 1963 – SECTION 5 – Where there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned – it is well settled considered principle of law that the delay cannot be condoned without assigning any reasonable satisfactory sufficient and proper reason. Appeal allowed.

आरआरटी 2010(2) पेज 801 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है-

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Sufficient cause – Delay of three days in filing appeal – No sufficient cause explained for delay – Held, application and appeal dismissed.

आरआरटी 2011(2) पेज 851 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच ने निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है-

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Sufficient cause – Delay of 30 days in filing appeal – Delay not explained satisfactorily – Questions involved in appeal are

question of facts – Concurrent findings – Held Appeal is dismissed on the ground of limitation and merits also.

<u>आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)</u>

परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्किल की निश्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यथा यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।

<u>आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)</u>

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late fiing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.

<u>2010(2)सीटी(एसटी) पेज 462 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-</u>

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Delay of 4 years in filing appeal – High Court condoned the delay. Respondent misled High Court and made false statement – Delay wrongly condoned – Held, order is set-aside and appeal stands dismissed.

उपरोक्त न्यायिक उद्धरणों के अनुसार धारा-5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत समयावधि का प्रश्न अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व निर्णित किया जाना चाहिये। यदि अपील निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम बिन्दु यह निर्णय किये जाने का होता है कि क्या अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं। यदि धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीन कोई आवेदन-पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे स्वीकार किया जावे या नहीं एवं जो देरी अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई है, उस देरी को क्षम्य किया जावें अथवा नहीं, उक्त बिन्दु पर निर्णय दिये बगैर अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु नहीं जा सकती। मयाद के सम्बन्ध में लिया ऐतराज मात्र तकनीकी ऐतराज नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण व सारभूत ऐतराज है, जो अपीलीय न्यायालय के अपील को सुनने या उसे ग्राह्य किये जाने व निर्णिय किये जाने के क्षेत्राधिकार को अवधारित करता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के दोष-मार्जन हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में न्यायालय को अपील संतुष्टि करना आवश्यक है कि आया स्पष्टीकरण युक्तियुक्त, संतोषप्रद व पर्याप्त है अथवा नहीं? न्यायालय को परिसीमा अवधि को साम्यपूर्ण आधार पर अभितृद्धित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलें में जहा विरोधी के पक्ष में कोई हित व अधिकार अभिप्राप्त हो गया है, वहां उसको भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलांट द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 24.12.2008 को प्रार्थना पत्र धारा 136 का जवाब प्रस्तुत किया तथा पक्षकरान् द्वारा दिनांक 13.07.2011 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र बाबत राजीनाम पेश किया था। ऐसे में अपीलांट को आलौच्य आदेश की जानकारी न होना सुपाच्य नहीं है। यदि यह मान भी लिया जावें कि उनको उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी परन्तु अपील में वर्णित तथ्यानुसार अपीलांट को आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने के पूर्व से ही थी, ऐसी अवस्था में भी अपीलांट द्वारा दिनांक 04.10.2022 को अपील प्रस्तुत की जो मयाद बाधित है, और देरी के कारण स्पष्ट नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रकट आया है कि प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में अपीलंट स्वयं द्वारा दिनांक 15.07.2022 को प्रतिलिपि प्राप्त होने का कथन किया है, जिसके अनुसार उन्हें निर्धारित 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करनी थी परन्तु उसके द्वारा दिनांक 04.10.2022 को 30 दिवस उपरान्त अपील प्रस्तुत की, जिसके कारण

भी प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आलौच्य निर्णय से अपीलांट को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए 11 वर्ष से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है और इसके अनुसरण में यह न्यायालय हस्तगत प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित नहीं पाते है।

हालांकि अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन करना उचित समझते हैं कि अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है। जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न

है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि पक्षकारान् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2011 को राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में वर्णित आराजीयात में कमी रकबा पुर्ति कर इन्द्राज दुरूस्ती करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2011 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है तथा प्रकरण में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 22.04.2025 को प्राप्त रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालाना किये जाने बाबत प्राप्त हुई है। **परिणामतः अपील अपीलांट बैरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.09.2011 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर